राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 38 /2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 6 फ्लोर, प्लाट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–14, गुरूग्राम एवं शाखा कार्यालय भीलवाड़ा।	**बनाम**	1. सीमा देवी पत्नी सुरेश निवासी मकान नं. 321, अंटाली जाट मोहल्ला, तहसील आसीन्द, गुलाबपुरा 2. सुरेश पुत्र देवा राम निवासी मकान नं. 321, अंटाली मोहल्ला, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा
–– प्रार्थी		––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री यादवेन्द्र सिंह।

निर्णय

दिनांक : 29.03 .2023

प्राधिकृत अधिकारी, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 6 फ्लोर, प्लाट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–14, गुरूग्राम एवं शाखा कार्यालय भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 3,89,107/– रूपये का ऋण दिनांक 23.11.2017 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – **सुरेश पुत्र देवाराम जाट की आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन जो पट्टा नं. 28, ग्राम पंचायत अंटाली, पंचायत समिति, आसीन्द, ग्राम अंटाली, शिव जी के मंदिर के पास, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा पर स्थित है जिसकी माप लगभग 2827 वर्गफीट है, जिसकी सीमाएं पूर्व–रूपा/राम जाट की भूमि, पश्चिम–जीवराज/भैरू जा की भूमि, उत्तर–लादू लाल/मांगी लाल जाट की भूमि, दक्षिण–आम रास्ता** (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 09.07.2022 तक कुल बकाया ऋण की राशि 4,03,527.32/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 27.12.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।